

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

अनुदेशिका-2016

मान्यता प्राप्त शालाओं के प्रधानों के लिये
(राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 के तहत बने
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम-1957 के अध्याय-16
विनियम-21 के अन्तर्गत 2016 तक संशोधित अनुदेशिका)

बोर्ड के कार्यक्षेत्र और कार्यक्षेत्र के बाहर के छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शालाओं में प्रवेश, अन्य बोर्डों की परीक्षाओं से समकक्षता, पात्रता प्रमाण-पत्र विषय/वर्ग परिवर्तन, स्वअध्ययन, नाम/पिता के नाम/माता के नाम/जन्मतिथि में संशोधन, प्रमाण पत्र वितरण एवं बोर्ड के विभिन्न प्रलेखों की प्रतियां जारी करने के सम्बन्ध में बोर्ड नियम



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
परीक्षा-द्वितीय अनुभाग

महत्वपूर्ण सूचना

छात्र/छात्राओं के लिये सूचनार्थ लेख हैं कि बोर्ड बैठक दिनांक 24, 25 सितम्बर 04 के प्रस्ताव संख्या 3 की स्वीकृति की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षा वर्ष अनुसार प्रतिवर्ष पूरक परीक्षा के परिणामों की अंतिम घोषणा की दिनांक को आधार मानते हुए कार्यालय में विगत 40 वर्षों की परीक्षाओं की सारणी रजिस्टर (Tabulation Register) ही सुरक्षित रखे जायेंगे तथा इस अवधि के लिये ही परीक्षार्थियों को कार्यालय द्वारा प्रतिलिपि प्रलेख जारी किये जायेंगे। इससे पूर्व के वर्षों के सारणी रजिस्टर (Tabulation Register) प्रतिवर्ष क्रमशः नष्ट कर दिये जायेंगे तथा नष्ट किये गये सारणी रजिस्टर के प्रतिलिपि प्रलेख व अन्य जानकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।

नोट :- बोर्ड कार्यालय द्वारा उक्त क्रम में वर्ष 1970 एवं इससे पूर्व के समस्त सारणी रजिस्टर (Tabulation Register) नष्ट किये जा चुके हैं अतः इस वर्ष से पूर्व से सम्बन्धित किसी भी रिकॉर्ड की प्रतिलिपि/दस्तावेज/ जन्मतिथि सत्यापन बोर्ड द्वारा नहीं किये जायेंगे।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक
एवं संस्कृत विद्यालयों के प्रधानों को

बोर्ड द्वारा छात्रों के प्रवेश, विषय/वर्ग परिवर्तन, विषय के स्वअध्ययन, जन्मतिथि, विद्यार्थी का नाम/पिता का नाम/माता का नाम में संशोधन/वर्तनी सुधार एवं प्रमाण-पत्र आदि के सम्बन्ध में नियम/निर्देश शालाओं के सूचनार्थ समय-समय पर भेजे जाते हैं, इसके उपरांत भी कतिपय शाला प्रधान/अभिभावक अनेक मामलों में नियम एवं निर्देशों के विपरीत कार्यवाही करते हैं जिससे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु निवेदन है कि आप इन नियमों का स्वयं अवलोकन करें और इसके अनुसार सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही करें।

शाला प्रधान/विद्यार्थियों को चाहिये कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा के आवेदन पत्रों को अग्रेषित/पूर्ति करते समय उनमें अंकित प्रविष्टियों की शाला अभिलेखों से पुष्टि करें। जरा सी त्रुटि के कारण जन्मतिथि, विद्यार्थी एवं पिता/माता के नाम/उपनाम आदि में संशोधन के प्रकरण काफी संख्या में प्राप्त होते रहते हैं। इसी प्रकार अज्ञान/भूलवश गलत कोड नम्बर प्रविष्टि करने से पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति/पुरस्कार से वंचित रह सकते हैं क्योंकि बोर्ड में परीक्षा आवेदन-पत्र में भरी जाति/वर्ग कोड सम्बन्धी सूचना में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। अतः पुनः निवेदन है कि छात्रों के आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व उनमें अंकित सभी प्रविष्टियों की शाला प्रधान अभिलेखों से भली-भांति सत्यापित कर लें जिससे बाद में पत्र-व्यवहार न करना पड़े और बोर्ड एवं विद्यार्थी को भी कठिनाई न हो।

1. बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी अनुदेश :-

बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय अथवा जिनकी सम्बद्धता बोर्ड द्वारा विचाराधीन है, की कक्षा - 9, 10, 11 व 12 में प्रवेश देने से पूर्व शाला प्रधान निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखें :-

* **1.1 कक्षा-9 में प्रवेश :-** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला की कक्षा-9 में प्रवेश दिया जा सकता है यदि उन्होंने -

(अ) इस बोर्ड के क्षेत्राधीन सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में पढ़कर कक्षा-8 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा कक्षा-9 में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा-9 में अध्ययनरत स्थानान्तरित विद्यार्थी हो।

(ब) अन्य बोर्ड द्वारा माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 10 वर्षीय पाठ्यक्रम में संचालित परीक्षा की कक्षा- 8 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा कक्षा-9 में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा-9 में अध्ययनरत प्रवर्जित विद्यार्थी हो।

(स) बोर्ड की माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में वे अभ्यर्थी प्रवेश योग्य होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 की परीक्षा नियमित अथवा वर्ष 2011 तक स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण/कक्षोन्नत/प्रोन्नत की हो तथा वर्ष 2011 के पश्चात् नियमित अथवा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त अंकतालिका या प्रमाण पत्र या प्रगति पत्र के आधार पर उत्तीर्ण/कक्षोन्नत/प्रोन्नत /क्रमोन्नत की हो।

* 1.2 कक्षा-10 माध्यमिक तथा प्रवेशिका में प्रवेश :- निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला की कक्षा-10 में प्रवेश दिया जा सकता है यदि उन्होंने -

कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा/2010/सैल-8/716 दिनांक 07-07-10 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13-05-10 के प्रस्ताव संख्या-1,2,3 एवं 6 की अनुशंषा पर बोर्ड बैठक दिनांक 10-06-10 की स्वीकृति अनुसार बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ष 2011 की परीक्षा से नियमों में निम्नानुसार संशोधन/ प्रावधान किये गये हैं।

1. जो विद्यार्थी कक्षा-9 अनुत्तीर्ण हो एवं माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होकर अनुत्तीर्ण रहा है, उसे कक्षा-10 में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. कक्षा-9 से 12 तक नियमों में पुनः प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा में बन्धन को समाप्त कर दिया गया है।
3. उच्च माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के रूप में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को उच्च माध्यमिक परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. नियमित परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु उपस्थिति में शाला प्रधान को प्रदत्त छूट 15 मीटिंग से बढ़ाकर 25 मीटिंग कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अब कोई छूट बोर्ड स्तर पर नहीं दी जावेगी। शाला प्रधान कुल 25 मीटिंग तक की छूट अपने स्तर पर देकर इसकी पुष्टि बोर्ड से करायेगें।
5. विमंदित (learning disability) परीक्षार्थियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा पर परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय/श्रुत लेखक दिया जाएगा।

(अ) इस बोर्ड के क्षेत्राधीन सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में पढ़कर कक्षा-9 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा बोर्ड माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा-10 में अध्ययनरत स्थानान्तरित विद्यार्थी हो।

(ब) अन्य बोर्ड द्वारा माध्यमिक के समकक्ष 10 वर्षीय पाठ्यक्रम में संचालित परीक्षा की कक्षा-9 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा उस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा-10 में अध्ययनरत प्रवर्जित विद्यार्थी हो।

(स) माध्यमिक परीक्षा में नियमित रूप से प्रविष्ट हो, अनुत्तीर्ण रहने के पश्चात अध्ययन छोड़ दिया हो अथवा जिन्हें बोर्ड ने किन्हीं कारणों से वंचित कर दिया हो और यदि वे विवर्जित अवधि के पश्चात कक्षा-10 में पुनः प्रवेश लेना चाहे।

(द) स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में पूर्व वर्षों में इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में अधिक से अधिक दो विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो और इन विषयों में कम से कम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तथा कुल प्राप्तांकों का योग 30 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

*** 1.3 उच्च माध्यमिक की कक्षा-11 में प्रवेश :-**निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को उस वर्ग और विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने –

(अ) नियमित अथवा स्वयंपाठी रूप से इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा/पूरक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ब) इस बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित उत्तीर्ण की हो।

(स) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की माध्यमिक अथवा समान स्तर की मान्य परीक्षा अनु. 1.7 (ब) के अनुरूप उत्तीर्ण की हो और पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो।

ध्तातव्य:

(अ) निम्नलिखित परिस्थितियों में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है :-

- (i) माध्यमिक परीक्षा कक्षा-9 या 10 में प्रवेश हेतु।
- (ii) माध्यमिक परीक्षा की किसी भी श्रेणी यथा सम्पूर्ण विषय, अतिरिक्त विषय आदि की परीक्षा हेतु।

परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-7 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2013 की पूरक परीक्षा से पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थियों को पूरक विषय में अर्जित किये गये प्राप्तांक जोड़कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। यह व्यवस्था बोर्ड की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं के लिये लागू होगी

(iii) जिन छात्रों ने माध्यमिक परीक्षा इस बोर्ड से उत्तीर्ण की हो और ऐसे छात्र कक्षा-11 अथवा कक्षा-12 में अन्य बोर्ड से अध्ययन कर पुनः इस बोर्ड की परीक्षा कक्षा-11 अथवा कक्षा-12 में प्रवेश लेते हैं तो बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा/2010/सैल 8/716 दिनांक 07-07-10 पात्रता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं है।

(iv) माध्यमिक परीक्षा के अतिरिक्त विषय की परीक्षा (श्रेणी 4) में सम्मिलित होना चाहते हैं।

(ब) निम्नलिखित परिस्थितियों में पात्रता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है-

संस्था प्रधान परीक्षार्थ आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय पात्रता प्रमाण-पत्र संलग्न कराए। स्वयंपाठी के रूप में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी भी अपने परीक्षा आवेदन पत्र के साथ पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे -

(i) बोर्ड कार्य क्षेत्र से बाहर के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सम्बद्ध विद्यालय में आवेदन किया।

(ii) अन्य बोर्ड से कक्षा 11 की गृह परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो इस बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय की उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 में प्रवेश लेने आये।

नियम/निर्देश के सम्बन्ध में शंका-समाधान हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें।

कक्षा 11 में प्रवेश हेतु अन्य निर्देश -

(1) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा-11 में प्रवेश देने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें।

(2) पात्रता आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व शाला प्रधान अपने स्तर पर पूर्णतया संतुष्ट हो।

(3) ऐसे योग्य छात्र/छात्राएँ जो विदेश के हो और जिन्होंने पब्लिक परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल शिक्षण संस्था की कक्षा-10 परीक्षा ही उत्तीर्ण की हो, वे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-11 में प्रवेश लेना चाहे तो इन मामलों को बोर्ड के निर्णयार्थ प्रेषित किया जाए।

(4) अन्य बोर्ड से माह दिसम्बर में कक्षा-10 उत्तीर्ण छात्रों को यदि शाला प्रधान द्वारा छात्र हित में परिणाम घोषणा से पूर्व ही, उसी सत्र में कक्षा-11 में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया है तो उन छात्रों द्वारा कक्षा-10 उत्तीर्ण होने पर शाला प्रधान के अनुशंसा पत्र के आधार पर, कक्षा-11 में प्रवेश हेतु कार्यालय स्तर पर शाला प्रलेख जांचोपरान्त सही पाये जाने पर ही पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

*** 1.4 उच्च माध्यमिक की कक्षा-12 में प्रवेश :-** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला में उस वर्ग और विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने -

(अ) इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय से कक्षा-11 उत्तीर्ण कर ली हो।

(ब) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की माध्यमिक अथवा समान स्तर की मान्य परीक्षा उत्तीर्ण कर बोर्ड की सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में बोर्ड द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेकर कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो।

(स) अन्य बोर्ड के क्षेत्राधीन में विद्यालय से कक्षा-11 की गृह परीक्षा उस बोर्ड द्वारा निर्धारित विषयों में उत्तीर्ण की हो इस बोर्ड के क्षेत्राधिकार में कक्षा-12 में प्रवेश की पात्रता रखता हो।

(द) बोर्ड की सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा-11 में प्रवेश पात्रता होते हुए भी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में 10+2 योजनान्तर्गत विद्यालय से कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो किन्तु ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा-12 में प्रवेश देने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लेना होगा।

नोट : 1. जो विद्यार्थी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-11 में प्रवेश योग्य नहीं है वे कक्षा-12 में भी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

2. कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा-I/सैल-8/731 दिनांक 29-08-11 अनुसार वर्ष 2012 की परीक्षाओं में कक्षा-9 में उत्तीर्ण छात्र प्रवेशिका परीक्षा में एवं कक्षा-11 में उत्तीर्ण छात्र वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रवेश योग्य माना जावेगा। इसी प्रकार प्रवेशिका कक्षा-9 में उत्तीर्ण माध्यमिक परीक्षा एवं वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा-11 उत्तीर्ण छात्र उच्च माध्यमिक परीक्षा के योग्य माना जावेगा।

3. इस बोर्ड की प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा क्रमशः माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है।

*** 1.5 वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा-11 में प्रवेश :-** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला में उस वर्ग और विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने –

(अ) बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा अंग्रेजी सहित उत्तीर्ण कर ली हो।

(ब) संस्कृत विषय की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को उपाध्याय की कक्षा-11 में प्रवेश दिया जा सकता है।

(स) उच्च माध्यमिक की कक्षा-11 में प्रवेश की पात्रता रखते हो।

(द) निम्नलिखित में से कोई परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत प्राप्तांकों सहित उत्तीर्ण हो।

– सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की पूर्व मध्यमा परीक्षा। (वर्ष 2001 तक)

– बिहार संस्कृत समिति पटना/संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा की पूर्व मध्यमा परीक्षा।

– राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली की पूर्व मध्यमा परीक्षा।

*** बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा/2010/सैल 8/716 दिनांक 07-07-10 द्वारा आयु सीमा का प्रावधान विलोपित कर दिया गया है।**

- हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ की प्रवेशिका परीक्षा।
- विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/बोर्ड की 10 वर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा (संस्कृत अनिवार्य/वैकल्पिक विषय सहित)।
- पंजाब विश्वविद्यालय की प्राज्ञ परीक्षा।

(य) उच्च माध्यमिक परीक्षा की कक्षा-11 में प्रवेश हेतु जो शर्तें हैं वही वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा-11 में प्रवेश के लिए मान्य होगी।

*** 1.6 वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा-12 में प्रवेश :-** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला में उन वर्ग विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने नियमित अथवा स्वयंपाठी रूप से इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक पूरक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(अ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा-11 की संस्कृत विषय सहित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ब) वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा-11 में प्रवेश की पात्रता होते हुए भी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में विद्यालयों के वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय अथवा समान स्तर के विद्यालय से 10+2 योजनान्तर्गत कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो। ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(स) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों की माध्यमिक परीक्षा/प्रवेशिका अथवा समान स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर बोर्ड की मान्यता प्राप्त वरिष्ठ उपाध्याय संस्था में बोर्ड द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेकर कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो।

(द) जो विद्यार्थी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में कक्षा-11 में प्रवेश योग्य नहीं हैं वे कक्षा-12 में भी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

*** 1.7 पात्रता प्रमाण पत्र :-**

(अ) **अनिवार्यता:-** बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर अर्थात् अन्य बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से प्रवर्जित छात्रों को राजस्थान बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 में प्रवेश लेने से पूर्व अथवा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में आवेदन करने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी।

विशेष :- यदि कोई शाला प्रधान बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश देता है या स्वयंपाठी परीक्षार्थी का आवेदन पत्र बिना पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये अग्रेषित करता है तो नियमानुसार परीक्षार्थी का आवेदन पत्र निरस्त होने पर समस्त प्रकार की जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।

(ब) पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का आधार – अन्य बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से प्रवर्जित छात्रों को राजस्थान बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र निम्नानुसार आधार पर जारी किया जा सकता है :-

(i) संबंधित बोर्ड से उस बोर्ड की योजनानुसार उत्तीर्ण घोषित होना अनिवार्य है।

(ii) संबंधित बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम पांच विषयों में प्रत्येक में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।

(iii) यदि कक्षा-12 में प्रवेश वांछित है तो उपरोक्त बिन्दु (ii) के साथ-साथ कक्षा-11 में उस बोर्ड द्वारा निर्धारित विषयों के साथ उत्तीर्ण घोषित किया गया हो।

(iv) यदि अभ्यर्थी के किसी विषय/विषयों में 33 प्रतिशत से कम प्राप्तांक है और फिर भी वह उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो उसको कुल निर्धारित पूर्णांकों के लिए एक प्रतिशत सानुग्रह अंक के रूप में एक या अधिक विषयों की कमी को पूर्ण करने हेतु देय होंगे। इसके आधार पर पात्रता की जांच होगी। सानुग्रह अंक कुल विषयों के लिए निर्धारित पूर्णांक के आधार पर एक प्रतिशत से अधिक किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होंगे। यदि संबंधित अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से सानुग्रह अंकों का लाभ पहले से ही छात्र को दे रखा है, तब भी यह देखा जायेगा कि इस बोर्ड के एक प्रतिशत सानुग्रह अंक देने से उपर्युक्त वर्णित नियमानुसार छात्र को कुल सानुग्रह अंक का लाभ मिल चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सानुग्रह अंकों का लाभ ऐसे सभी मामलों में इस बोर्ड के नियमानुसार छात्र की प्रवेश पात्रता देखने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक प्रदान करने का यह नियम सभी बोर्ड/विश्वविद्यालय के मामलों में लागू माना जायेगा। चाहे वहां सानुग्रह अंक प्रदान करने का नियम हो अथवा नहीं किन्तु पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता जांचने हेतु सानुग्रह अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

(स) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की विधि :- शाला में प्रवेश लेने से पूर्व छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार कार्यवाही करनी/करानी चाहिये –

1. कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता मात्र कक्षा-11 (नियमित) अथवा कक्षा-12 नियमित/स्वयंपाठी दोनो प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए लेना अनिवार्य है।
2. नियमित प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से अथवा स्वयं व्यक्तिशः बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें किन्तु स्वयंपाठी विद्यार्थी इस हेतु अपना आवेदन पत्र सीधे बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. कक्षा-11 में नियमित परीक्षार्थियों की पात्रता प्रमाण पत्र लेने की प्रारम्भ तिथि 01 जुलाई

से होगी तथा इस हेतु अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। इसी प्रकार कक्षा-12 के नियमित /स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र लेने की प्रारंभ तिथि 01 मई से होगी और इस हेतु अंतिम तिथि बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथियों के अनुरूप होगी।

4. पात्रता प्रमाण पत्र जिस परीक्षा एवं जिस वर्ष के लिए जारी किया जाएगा वह उसी वर्ष व उसी परीक्षा के लिए मान्य होगा। यदि पात्रता प्रमाण का उस वर्ष प्रयोग नहीं किया जाता है और अंतराल (गेप) हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पात्रता प्रमाण पत्र पुनः लेना होगा। कक्षा-11 नियमित के लिए जारी पात्रता प्रमाण पत्र स्वतः कक्षा-12 नियमित के लिए मान्य होगा।
5. ऐसे विद्यार्थी जो किसी अन्य बोर्ड से कक्षा-10 अथवा कक्षा-11 उत्तीर्ण करके कक्षा-11 अथवा कक्षा-12 में नियमित प्रवेश चाहते हैं और उनके उत्तीर्ण करने एवं पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मध्य यदि वर्ष का अन्तर है तो उन अंतर वर्षों हेतु 50 रुपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पर एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि प्रार्थी ने उक्त अवधि में कहीं भी अध्ययन नहीं किया है। इस शपथ पत्र को नोटरी द्वारा भी सत्यापित कराना होगा।
6. पात्रता प्रमाण पत्र एक बार जारी करने के उपरान्त उसकी डुप्लीकेट प्रति बोर्ड द्वारा देय नहीं होगी क्योंकि जारी पात्रता प्रमाण पत्र का उपयोग उस वर्ष विशेष के लिए ही मान्य है लेकिन यदि किसी विद्यार्थी का पात्रता प्रमाण पत्र खो गया हो तो उसे निर्धारित शुल्क जमा कराकर नया पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. आवेदन पत्र के साथ अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की कक्षा-10 माध्यमिक स्तर की उत्तीर्ण मूल अंकतालिका, प्रव्रजन प्रमाण पत्र अथवा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, संलग्न की जाए। यदि कक्षा-12 में नियमित प्रवेश चाहिए तो कक्षा-11 की गृह परीक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका भी प्रस्तुत करें। (अन्य बोर्ड के कक्षा-12 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा-11 की मूल अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी।)
8. शाला प्रधान पात्रता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व अनुदेशिका के अनु. 1.7 (ब) में उल्लेखित नियमों के अन्तर्गत संतुष्ट हो लें कि विद्यार्थी वास्तव में प्रवेश के लिए पात्र है। पात्र होने की स्थिति में अपनी अनुशंसा सहित अग्रेषित करें।

* बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा/2010/सैल 8/716 दिनांक 07-07-10 द्वारा आयु सीमा का प्रावधान विलोपित कर दिया गया है।

9. अग्रेषित आवेदन पत्र के साथ बिन्दु संख्या 7 में वर्णित मूल प्रलेख और निर्देशानुसार निर्धारित शुल्क का सचिव मा.शि.बोर्ड के नाम कॉस भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट भेजे अथवा बोर्ड कार्यालय के काउंटर पर नकद जमा की रसीद संलग्न करें।
10. मिथ्या तथ्यों अथवा गलत प्रलेखों के आधार पर जारी कराए गए पात्रता प्रमाण पत्र को बोर्ड द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा और उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जा सकती है।
11. **किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से कक्षा-12 में उत्तीर्ण अथवा उच्च कक्षा उत्तीर्णपरांत इस बोर्ड से सम्बद्ध शालाओं की कक्षा-12 में प्रवेश नहीं देने के कारण पात्रता प्रमाण पत्र भी देय नहीं होगा।**

(द) निम्नांकित को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं :- निम्नांकित अभ्यर्थी पात्रता प्रमाण पत्र हेतु बोर्ड कार्यालय में आवेदन नहीं करें क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है -

(i) जो माध्यमिक परीक्षा हेतु कक्षा-9 या 10 में प्रवेश चाहते हैं।

(ii) माध्यमिक परीक्षा के अतिरिक्त विषय की परीक्षा (श्रेणी 4) में सम्मिलित होना चाहते हैं।

(iii) इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अन्य बोर्ड की कक्षा-11 उत्तीर्ण अथवा कक्षा-12 अनुत्तीर्ण होने पर पुनः राजस्थान बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में क्रमशः कक्षा-11 अथवा 12 में प्रवेश चाहते हैं।

(य) कार्यालय आदेश क्रमांक :- परीक्षा-।।/पात्रता प्रकोष्ठ/2366 दिनांक 18-05-2012 के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र की दरें निम्नानुसार है :-

| | | |
|---|--|----------|
| कक्षा-10 अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण कर कक्षा-11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों हेतु। | बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि (30 नवम्बर 2016 तक) | ₹ 100/- |
| | विलम्ब शुल्क रु. 200/- सहित (01 दिसम्बर 2016 से 30 अप्रैल 2017 तक) | ₹. 300/- |
| कक्षा-12 (नियमित एवं स्वयंपाठी) (कक्षा-10 व 11 अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों हेतु) | बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक | ₹ 100/- |
| | दुगने परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक (विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित) | ₹ 200/- |
| | असाधारण परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक (विलम्ब शुल्क रु. 200/- सहित) | ₹ 300/- |
| | आवेदन पत्र भरने की समस्त तिथियां समाप्त होने के पश्चात विशेष परिस्थिति में जारी पात्रता प्रमाण पत्र (शास्ति शुल्क रु. 1500/- सहित) | ₹ 1600/- |

| | |
|-----------------------|------------|
| अनुदेशिका-2016 | XII |
|-----------------------|------------|

| | | |
|--|--|----------|
| कक्षा-12 (कक्षा-10 अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण एवं कक्षा-11 मा.शि.बो. से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों हेतु) | बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक | ₹ 1100/- |
| | दुगने परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक (विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित) | ₹ 1200/- |
| | असाधारण परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक (विलम्ब शुल्क रु. 200/- सहित) | ₹ 1300/- |
| | आवेदन पत्र भरने की समस्त तिथियां समाप्त होने के पश्चात विशेष परिस्थिति में जारी पात्रता प्रमाण पत्र (शास्ति शुल्क रु. 1500/- सहित) | ₹ 1600/- |

नोट :-1. कार्यालय द्वारा परीक्षा की तिथियाँ प्रतिवर्ष अलग से घोषित की जाती है।

2. बिना पात्रता प्रवेश देने वाले विद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क के साथ प्रति विद्यार्थी ₹ 1000/- दण्ड राशि भी ली जायेगी।

3. ऐसे विद्यार्थी जिसने कक्षा-11 में पात्रता प्रमाण पत्र नहीं लिया व कक्षा-11 उत्तीर्ण कर अन्य विद्यालय में कक्षा-12 में प्रवेश चाहता है, अन्य विद्यालय उसे बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश न दे तथा ऐसी स्थिति में स्वयं विद्यार्थी कक्षा-12 हेतु पात्रता प्रमाण पत्र लेने आवे तो ₹ 1000/- दण्ड राशि परीक्षार्थी से लिया जाना है।

(4) अन्य बोर्ड से माह दिसम्बर में कक्षा-10 उत्तीर्ण छात्रों को यदि शाला प्रधान द्वारा छात्र हित में परिणाम घोषणा से पूर्व ही, उसी सत्र में कक्षा-11 में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया है तो उन छात्रों द्वारा कक्षा-10 उत्तीर्ण होने पर शाला प्रधान के अनुशंसा पत्र के आधार पर, कक्षा-11 में प्रवेश हेतु कार्यालय स्तर पर शाला प्रलेख जांचोपरान्त सही पाये जाने पर ही पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

*** 1.8 अन्य विद्यालयों से स्थानांतरित विद्यार्थियों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) आदि प्रलेखों की जांच :-** फर्जी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की रोकथाम के लिये निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है -

(1) बोर्ड के कार्यक्षेत्र के विद्यालय से स्थानांतरित विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं मूल अंकतालिका, उन्हें जारी करने वाले पूर्व शाला प्रधान को भेजकर, उनसे भलीभांति सत्यापन कराने के बाद ही, उन्हें संबंधित कक्षा में स्थाई प्रवेशाज्ञा प्रदान की जाये।

(2) जिन परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र एवं मूल अंकतालिका प्रान्तीय भाषा में है, वे विद्यार्थी अपने प्रमाण पत्र एवं मूल अंकतालिका अंग्रेजी भाषा में संबंधित बोर्ड से सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करें। ऐसे प्रपत्रों पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

2. अध्ययन विद्यार्थी को विषय/वर्ग परिवर्तन में छूट :-

(1) कक्षा-11 में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राएँ यदि विषय/वर्ग परिवर्तन करना चाहें तो यह अनुज्ञा उस सत्र में कभी भी प्रदान की जा सकती है, जिसकी अनुज्ञा शाला प्रधान स्वयं

दे सकेंगे।

(2) कक्षा-11 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यदि छात्र/छात्रा, विषय/वर्ग परिवर्तन करना चाहें और विद्यालय विद्यार्थी के स्तर को देखते हुए बोर्ड को परीक्षार्थ आवेदन पत्र भेजने से पूर्व अनुमति देना चाहे तो बोर्ड कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार कक्षा-9 व 10 में भी छात्र/छात्राओं को तृतीय भाषा विषय में परिवर्तन की अनुमति शाला प्रदान अपने स्तर पर दे सकते हैं।

(4) उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) योजना के अन्तर्गत कक्षा-11 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक योजना में कक्षा-12 में प्रवेश दिया जा सकता है।

(5) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने के बाद यदि स्वयंपाठी छात्र विषय परिवर्तन करना चाहे तो ऐसे प्रार्थना पत्र संबंधित अग्रेषित अधिकारी के मार्फत मय तथ्यात्मक प्रलेखों के एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय को 30 नवम्बर तक भेज सकते हैं। उपरोक्त तिथि के पश्चात प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. नियमित छात्रों को स्वअध्ययन की अनुमति :-

सामान्यतः विद्यालयों में उन्हीं विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, जिन विषयों के अध्यापन हेतु विद्यालय मान्यता प्राप्त है, किन्तु निम्नानुसार एक विषय में स्वअध्ययन की अनुमति दी जा सकती है।

(1) माध्यमिक स्तर पर नियमित विद्यार्थियों को तृतीय भाषा के रूप में स्वीकृत विषयों में से कोई विषय, यदि वह विषय अध्ययनरत विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है, चयन कर स्वअध्ययन के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा शाला प्रधान के स्तर पर दी जा सकती है। इस हेतु जारी आदेश की प्रति तुरन्त इस कार्यालय की गोपनीय शाखा को भेज दें।

(2) बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों को भी अधिकतम एक विषय में स्वअध्ययन की अनुमति दी जा सकती है शाला प्रधान इसकी पुष्टि बोर्ड से करायेगें किन्तु प्रायोगिक परीक्षा वाले केवल निम्न विषयों में स्वअध्ययन की अनुमति दी जा सकेगी।

(अ) जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है, उन विषयों में सामान्यतः स्वअध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी किन्तु निम्नांकित विषयों में प्रायोगिक कार्य निश्चित होने पर भी स्वअध्ययन करने की अनुज्ञा उपरोक्तानुसार प्रदान की जा सकती है।

1. संगीत (कला वर्ग) 2. गृह विज्ञान (कला वर्ग) 3. टंकण लिपि (वाणिज्य वर्ग)

(ब) कक्षा-12 में कम्प्यूटर विज्ञान विषय में स्वअध्ययन की अनुमति शाला प्रधान की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा दी जा सकती है। उपरोक्त छात्रों के अन्य विद्यालय से प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रायोगिक परीक्षा के समय परीक्षक/शाला प्रधान को प्रस्तुत करना होगा।

(स) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या 12 व बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के प्रस्ताव संख्या 10 में यथावत स्वीकार किया गया कि उच्च

माध्यमिक की प्रायोगिक परीक्षा में "परीक्षार्थी के नियत तिथि एवं समय पर अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने पर उसकी परीक्षा उसी परीक्षक द्वारा उसी विद्यालय में लिए जा रहे अन्य बैच के साथ शाला प्रधान की अनुमति से ही सम्पन्न करवा ली जावे। अन्यथा स्थिति में परीक्षार्थी को अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी की दिया जाएगा।"

(3) एक विषय में स्वअध्ययन छात्र/छात्राओं को उस विषय में सत्रांक अनुपातिक रूप में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के समान दिये जायेंगे।

(4) प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के छात्र/छात्राओं को भी स्वअध्ययन की अनुज्ञा उपरोक्तानुसार देय है।

(5) कार्यालय द्वारा जारी आदेश :- परीक्षा-11/ई. एक्स/6/पात्रता 2851 दिनांक 30-05-2012 के अनुसार विभिन्न विद्यालयों में छात्रों को स्वअध्ययन की अनुमति देने हेतु प्रथम वर्ष में विद्यालय पर प्रति छात्र ₹ 2000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी तथा अगले वर्ष यदि वही विद्यालय त्रुटि दोहराता है तो उस पर प्रति छात्र ₹ 10,000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी।

(6) राजकीय विद्यालय होने पर उच्च माध्यमिक परीक्षा की कक्षा में केवल अल्प भाषा यथा पंजाबी/गुजराती/उर्दू/सिन्धी आदि में स्वअध्ययन हेतु अधिकतम छात्र संख्या में छूट प्रदान की जाती है। (कार्यालय द्वारा जारी आदेश :- मा.शि.बो./ परीक्षा-11/2012/815/ दिनांक 25-08-2012)

(7) छात्र संख्या 1 से 10 तक हो तो प्रति परीक्षार्थी एक परीक्षा शुल्क की राशि लेकर स्वअध्ययन की अनुज्ञा दी जाएगी। इसका शुल्क परीक्षा II द्वारा प्राप्त किया जाएगा। छात्र संख्या 10 से अधिक होने पर कार्यालय द्वारा जारी आदेश :- परीक्षा-11/पात्रता/2851 दिनांक 30-05-2012 एवं परीक्षा द्वितीय/पात्रता/815 दिनांक 25-08-2012 के अनुरूप राशि ली जाएगी। (कार्यालय आदेश- परीक्षा-1/सैल-8/3 दिनांक 06-05-2013)

(8) असाधारण परीक्षा शुल्क से आवेदन पत्र भरने की तिथि तक स्व-अध्ययन की अनुज्ञा दी जावेगी। इस तिथि के पश्चात विलम्ब से प्राप्त होने वाले स्व-अध्ययन के प्रकरणों को संबंदि त परीक्षा शाखा प्रथम द्वारा स्व-अध्ययन की अनुज्ञा हेतु उच्चाधिकारियों के आदेश एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त कर परीक्षा II को भिजवाया जावेगा।

4. नियमित परीक्षार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति :-

बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक परीक्षार्थी को विद्यालय सत्र में आयोजित कुल कक्षा पारियों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत मीटिंग में उपस्थित रहना आवश्यक है। विद्यालय कार्य दिवस में सामान्यतः दो मीटिंग मध्यान्तर से पूर्व और पश्चात आयोजित होती हैं। विद्यालयों में कक्षा-10 व कक्षा-12 जिसमें उपस्थिति के आधार पर बोर्ड परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दी जाती है, शिक्षण सत्र में मीटिंग की गणना निम्नानुसार की जाये-

(1) सत्र में 8 जुलाई से बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा तिथि से 30 दिन पूर्व तक जितनी संख्या में कक्षा मीटिंग आयोजित हो, उनके आधार पर 75 प्रतिशत की गणना कर उपस्थिति निर्धारित की जाये। यदि किन्हीं कारणों से बोर्ड परीक्षा स्थगित होती है, फिर भी बोर्ड द्वारा निर्धारित पूर्व तिथि के आधार पर गणना की जायेगी।

(2) किन्हीं कारणों से बोर्ड परीक्षा परिणाम यदि शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने के बाद घोषित हो, अथवा पूरक परीक्षा विशेष पूरक परीक्षा या किन्हीं अन्य कारणों से परिणाम बाद में घोषित किया जाये अथवा किन्हीं कारणों से परिवर्तित हो जाए तो ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा में परिणाम घोषित होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे मामलों में उपस्थिति की गणना प्रवेश के दिन से बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम, परिवर्तित परिणाम तिथि 10 दिवस बाद जो भी पहले हो से की जाये।

(3) यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानांतरण वश किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मंगवाकर जोड़ ली जाये।

(4) बोर्ड के कार्यक्षेत्र के बाहर अर्थात् अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवर्जित विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बंधी मामलों में उनकी उपस्थिति की गणना बोर्ड के नियमानुसार की जायेगी ना कि उनकी प्रवेश तिथि से। किन्तु यदि किन्हीं छात्रों ने अन्य बोर्ड की मान्यता प्राप्त संस्था में पूर्व प्रवेश ले रखा हो और बाद में स्थानांतरण वश बोर्ड की मान्यता प्राप्त शाला में प्रवेश ले तो उनकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय से उपस्थिति मंगवाकर जोड़ ली जाये।

(5) स्थानांतरित अथवा प्रवर्जित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पूर्व ही उपस्थिति के नियम से अवगत करा दिया जाए और यदि उनकी उपस्थिति न्यून होने की संभावना हो तो उन्हें प्रवेश ही न दें।

5. परीक्षार्थी के नाम, पिता, माता के नाम एवं जन्मतिथि के संशोधन के सम्बंध में :-

1. परीक्षार्थी जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, यदि उससे सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत प्रवेश परीक्षा में छात्र के नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो सम्बन्धित शाला प्रधान द्वारा संशोधन हेतु सूचित किया जाए।

यदि अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अंकतालिका सहित प्रमाण पत्र में छात्र के नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो जारी करने से पूर्व जांच की जाए तथा पृष्ठांकन किया जाए। यदि संशोधन अपेक्षित हो तो बोर्ड कार्यालय से सम्पर्क करें।

विशेष – (अ) परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-3 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों के आवक्ष चित्र में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरण में ₹ 100/- प्रति

प्रलेख शुल्क लिया जाएगा।

(ब) परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-4 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की समस्त परीक्षाओं से संबंधित जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों में सर्वप्रथम छात्र का नाम, उसके बाद माता का नाम, उसके पश्चात् पिता का नाम अंकित किया जाएगा।

2. बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों की जन्मतिथि, नाम/उपनाम, पिता के नाम/उपनाम व माता के नाम/उपनाम आदि में संशोधन सम्बन्धित वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक स्वीकार किये जाएंगे। इसके बाद के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा लेकिन बोर्ड कार्यालय स्तर पर बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की जाँच में त्रुटि रहने की पुष्टि होने पर पाँच वर्ष की अवधि के बाद भी संशोधन किया जा सकेगा।

विशेष – परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-5 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालयों से बोर्ड द्वारा निर्धारित संशोधन की अवधि के बाद परीक्षार्थियों के स्वयं के नाम/माता/पिता/उपनाम/फोटो एवं जन्म दिनांक आदि में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरण में बोर्ड नियमानुसार संशोधन शुल्क लिया जाएगा।

3. परीक्षार्थी के नाम/पिता के नाम/माता के नाम/उपनाम की वर्तनी में संशोधन के लिये 5 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में भी अन्तर है तो संशोधन हेतु 5 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। छात्र/छात्रा यदि अपने स्वयं अथवा पिता/माता के नाम, उपनाम में वर्तनी अर्थात् स्पेलिंग अशुद्धि को सही करना चाहे तो सही स्पेलिंग अथवा वर्तनी के सम्बंध में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा अथवा प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के साथ प्रलेखों कक्षा-8 की अंकतालिका, शाला का स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन पत्र एवं पूर्व शाला की टी.सी. इत्यादि मूल प्रलेखों एवं शाला प्रधान से प्रमाणित फोटोप्रतियाँ के आधार पर निस्तारण किया जा सकेगा।

4. नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों में जन्मतिथि, छात्र का नाम, पिता का नाम अथवा माता का नाम एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात् साधारणतः उसमें कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है, परन्तु केवल ऐसे मामलों में ही जहां पूर्व शाला की टी.सी. व परीक्षार्थ आवेदन पत्र अग्रेषित करने वाली शाला के प्रवेश प्रार्थना-पत्र में अन्तर हो अथवा प्रवेश प्रार्थना-पत्र से छात्र पत्रक में अथवा छात्र पत्रक से भेजे गये परीक्षार्थ आवेदन पत्र में विद्यालय द्वारा प्रविष्टियाँ करने में कोई अशुद्धि रह गई हो तो सम्बन्धित शाला के मूल रिकॉर्ड यथा स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश प्रार्थना-पत्र व पूर्व शाला की टी.सी. मय फोटो प्रतियों के जो कि शाला प्रधान द्वारा सत्यापित की गई हो के साथ जांच हेतु इस कार्यालय में भेजने पर ही जन्मतिथि,

छात्र/छात्रा के नाम, पिता के नाम अथवा प्रविष्टियों में सुधार करने पर विचार किया जा सकता है, अन्य किसी भी दशा में नहीं। निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर ही सुधार शाला अभिलेखों के आधार पर किया जा सकेगा। रिकॉर्ड की फोटो प्रतियां मान्य नहीं होगी। समय पर मूल रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण वापस लौटा दिया जायेगा तथा सम्पूर्ण रिकॉर्ड सहित 5 वर्ष की अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आगे फिर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष – परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-10 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 से परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जन्मतिथि में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक किये गये संशोधन आदेश ही स्वीकार किये जाएंगे। इसके पश्चात् के आदेश स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(5) (i) परीक्षार्थी के नाम/मध्यनाम/उपनाम में, पिता के नाम/मध्य नाम/उपनाम व माता के नाम/मध्य नाम/उपनाम की वर्तनी में संशोधन के लिये 5 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में भी अन्तर है तो संशोधन हेतु 5 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। छात्र/छात्रा यदि अपने स्वयं/पिता/माता के/मध्यनाम/उपनाम की वर्तनी को सही कराना चाहे तो संशोधन हेतु प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के साथ कक्षा-8 की अंकतालिका, शाला का स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन-पत्र एवं पूर्व शाला की टी.सी. इत्यादि मूल प्रलेखों सहित प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर अथवा स्वयं के शपथ पत्र व शाला रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर नियमानुसार सही पाये जाने पर निस्तारण किया जा सकेगा। वर्तनी व स्पेस में संशोधन संबंधित विद्यार्थी के घोषणा पत्र तथा कोई शैक्षणिक दस्तावेज की राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उसके आधार पर किया जा सकेगा।

(ii) संशोधन हेतु शुल्क नियमानुसार होगा –

छात्र/छात्रा के नाम,/पिता/माता का

नाम में वर्तनी एवं स्पेस संशोधन

न्यूनतम ₹ 100/- छात्र की त्रुटि

पाये जाने पर, तत्पश्चात् अतिरिक्त

₹ 50/- प्रतिवर्ष, अधिकतम ₹ 1000/-

छात्र/छात्रा मध्यनाम/उपनाम व पिता/

माता का मध्यनाम/उपनाम हेतु

न्यूनतम ₹ 100/- छात्र की त्रुटि

पाये जाने पर, तत्पश्चात् अतिरिक्त

₹ 100/- प्रतिवर्ष, अधिकतम ₹ 2000/-

A. विद्यार्थी द्वारा अपने नाम, पिता/माता के नाम के साथ हरिजन/गिरीजन/चमार लगे उपनाम को हटाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 16 अगस्त 1990 के अनुसार पाँच साल के प्रतिबंध में छूट देते हुये बिना शुल्क लिये ऐसे मामले में

हरिजन/गिरीजन/चमार उपनाम हटाया जा सकेगा।

B. परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-9 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की परीक्षाओं में ऑनलाईन आवेदन पत्रों में जाति श्रेणी (Cast Category) के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए।

(i) बोर्ड द्वारा ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्रों में निशुल्क संशोधन हेतु दी गई अवधि पश्चात् जाति (Cast Category) में संशोधन नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा आवेदन पत्र में दी गई श्रेणियां (1. अल्पसंख्यक 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. विशेष वर्ग) में से परीक्षार्थी केवल एक ही श्रेणी, जिसका वह पुरस्कार/छात्रवृत्ति या अन्य लाभ लेना चाहता है, का चयन करेगा।

(iii) यदि परीक्षार्थी जाति की एक से अधिक श्रेणी से है तो उसमें से केवल एक श्रेणी, जिसका वह पुरस्कार/छात्रवृत्तियों या किसी अन्य लाभ लेना चाहता है, का चयन करेगा। उसे परीक्षा आवेदन पत्र में भरी गयी जाति श्रेणी में ही लाभ दिया जाएगा अन्य में नहीं।

नोट :- एक ही छात्र/छात्रा से सम्बन्धित अनेक संशोधन होने पर प्रत्येक संशोधन के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जायेगा।

6. यदि कोई नियमित छात्र/छात्रा अपनी जन्मतिथि/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में संशोधन के लिये सम्बन्धित जिला जिला शिक्षा अधिकारी को बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने की बिना विलम्ब शुल्क की अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदन कर दे और उनकी जन्मतिथि/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में सुधार संबंधित वर्ष में 31 दिसम्बर तक हो जाए।

7. यदि कोई छात्र परीक्षा में एक बार प्रविष्ट होने के उपरान्त किसी सम्बन्धी के गोद जाता है, तो कार्यालय के अभिलेख में उसके पिता के नाम के स्थान पर गोद गये सम्बन्धी का नाम शपथ पत्र अथवा अन्य किसी भी आधार पर नहीं बदला जायेगा।

8. नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों में छात्र के नाम/उपनाम/पिता का नाम/उपनाम/माता का नाम/उपनाम तथा छात्र की जन्मतिथि एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात् शपथ पत्रादि/गजट में प्रकाशन कर देने के आधार पर संशोधन नहीं किया जायेगा।

9. शाला प्रधान छात्र/छात्राओं की जन्मतिथि प्रमाणित करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि माह अप्रैल, जून, सितम्बर एवं नवम्बर में जो कि 30 दिन के होते हैं तथा फरवरी माह के अतिरिक्त शेष माह 31 दिन के होते हैं, फरवरी 28 दिन का ही होता है या लीप ईयर का माह फरवरी 29 दिन का होता है, 30 दिन फरवरी माह के नहीं होते, इसका भली प्रकार ध्यान रखें। कई छात्रों के आवेदन पत्रों में उक्त माहों की तिथियां गलत दर्शायी जाती हैं।

10. कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक- परीक्षा- 11/ई. एक्स/6/पात्रता 2851 दिनांक 30-05-2012 के अनुसार विभिन्न विद्यालयों में छात्रों को स्वअध्ययन की अनुमति देने हेतु प्रथम वर्ष में विद्यालय पर प्रति छात्र ₹ 2000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी तथा अगले वर्ष यदि वही विद्यालय त्रुटि दोहराता है तो उस पर प्रति छात्र ₹ 10,000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी।

6. मूल प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित) के सम्बंध में :-

1. छात्रों को मूल प्रमाण पत्र वितरित करने से पूर्व प्रमाण पत्रों में अंकित, समस्त प्रविष्टियाँ मुख्यतः छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि की शाला अभिलेखों से भली प्रकार से जांच करा लें और यदि प्रमाण पत्रों में अंकित प्रविष्टियों में किसी प्रकार का अन्तर हो तो पूर्ण जानकारी सहित मूल प्रमाण पत्र कार्यालय को संशोधनार्थ लौटा दें।

2. छात्रों को प्रमाण पत्र देने से पूर्व शाला अभिलेखों में प्रमाण पत्र वितरित किये छात्र का नाम, नामांक, वर्ष एवं परीक्षा तथा वितरित किये जाने की दिनांक का उल्लेख पृथक रूप से रजिस्टर में करें, तत्पश्चात प्रमाण पत्र के पिछले भाग पर वितरित करने की दिनांक हस्ताक्षर तथा विद्यालय की मुद्रा लगाकर प्रमाण पत्र छात्र को वितरित करें।

3. प्रमाण पत्र शाला में प्राप्त होते ही सम्बन्धित छात्र/छात्रा को सूचित कर दें कि उनके प्रमाण पत्र शाला में प्राप्त हो गये हैं और वे यथाशीघ्र इसे शाला से प्राप्त कर लें। छात्र यदि सूचना के पश्चात भी प्रमाण पत्र प्राप्त न करें तो अवितरित प्रमाण पत्रों को 3 वर्ष पश्चात इस कार्यालय को वापस लौटा दें।

4. समस्त प्रमाण पत्रों को अपनी पूर्ण सुरक्षा में रखें व वर्ष के अंत में संख्या का मिलान कर लें तथा जिन छात्रों का निधन हो गया है उन छात्रों के प्रमाण पत्र कार्यालय को लौटा दें। प्रमाण पत्रों का पूर्ण हिसाब रखें।

5. शाला से लौटे हुए स्वयंपाठी छात्रों के अवितरित प्रमाण पत्र यदि कोई छात्र वापस मंगवाना चाहे तो वह पांच वर्ष की अवधि तक बोर्ड कार्यालय को इस हेतु सादे कागज पर आवेदन जिसमें उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, वर्ष एवं नामांक लिखा हो मय शुल्क ₹ 50/- (पोस्टल आर्डर) बोर्ड को सीधा भेज सकता है। नियमित छात्रों के प्रमाण-पत्र सम्बन्धित शाला को तथा स्वयंपाठी छात्रों के प्रमाण पत्र सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों पर भिजवा दिये जायेंगे। कार्यालय में प्रमाण पत्र विगत पांच वर्षों के ही सुरक्षित रखे जाएंगे।

6. कार्यालय द्वारा श्रेणी -6 (अंक सुधार) व पूर्व ब्रिज कोर्स परीक्षा से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

7. बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रलेखों के क्रम में :-

1. साधारण अंकतालिका प्रतिलिपि (Duplicate Marksheet) :

मूल अंकतालिका खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की परिस्थिति में छात्रों द्वारा ₹ 100/- का निर्धारित शुल्क एवं पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र प्रेषित करने पर उन्हें अंकतालिका की प्रतिलिपि अगले दिन या डाक द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की जाती है।

2. आवश्यक अंकतालिका प्रतिलिपि (Urgent Duplicate Marksheet) –

अर्जेन्ट अंकतालिका हेतु ₹ 150/- शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः यह अंकतालिका परीक्षार्थियों को उसी दिन उपलब्ध करायी जाती है व नहीं लेने पर दिये पते पर डाक द्वारा भिजवायी जाती है।

3. आंग्ल भाषित प्रमाण पत्र (English Version Certificate)

पासपोर्ट के प्रथम चार पृष्ठों की फोटो प्रति अथवा विदेश/अहिन्दी भाषित प्रदेश में जाने का शपथ पत्र ₹ 50/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर देते हुये ₹ 200/- निर्धारित शुल्क व पूर्ण विवरण सहित आवेदन करने पर आंग्ल भाषित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

4. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate)

जो छात्र इस बोर्ड कार्यालय से बाहर अध्ययन के लिये जाते हैं, उन्हें प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं। छात्र ₹ 150/- निर्धारित शुल्क व पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र प्रेषित कर यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

5. प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित प्रतिलिपि –

प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में बोर्ड के निर्धारित प्रारूप के अनुसार ₹ 50/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर छात्र अपना पूर्ण विवरण लिखकर एवं आवक्ष चित्र लगाकर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश या नोटेरी पब्लिक द्वारा निष्पादित शपथ-पत्र प्रमाणित व सील लगाकर एवं निर्धारित शुल्क प्रमाण-पत्र के लिए ₹ 200/- तथा प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित के लिए ₹ 200/- एवं पूर्ण विवरण सहित आवेदन करने पर प्रतिलिपि प्रदान की जा सकती है। प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र व्यक्तिगत रूप से न देकर दिये गये पते पर भिजवायी जाती है। शपथ-पत्र एवं आवक्ष चित्र का प्रमाणीकरण एक ही न्यायाधीश /नोटेरी पब्लिक द्वारा होनी चाहिये। अपूर्ण प्रार्थना पत्र मूल रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा।

माध्यमिक ओपन स्कूल परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण छात्रों को प्रतिलिपि प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय प्रथम अवसर से उत्तीर्ण होने तक के अवसर का विवरण आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। CAT-3 व CAT-7 के उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा का नामांक व वर्ष अवश्य अंकित करें। CAT-6 के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

वर्ष 2001 एवं इसके बाद की परीक्षाओं के लिए प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र बिना फोटो मुद्रित के जारी किये जाएंगे।

शपथ पत्र का नमूना

(दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर अंकित करना है)

1. मैंपुत्र/पुत्री श्रीजाति निवासी (पता)
..... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सैकण्डरी स्कूल/माध्यमिक परीक्षा/माध्यमिक ओपन स्कूल परीक्षा/प्रवेशिका/हॉयर सैकण्डरी/सीनियर हॉयर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/उच्च माध्यमिक परीक्षा/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 19..../20.... में नामांक (Roll No.) मुख्य परीक्षा/ओपन स्कूल प्रथम अवसर पूरक परीक्षा नामांक वर्ष 19..../20.... द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा नामांक तृतीय अवसर पूरक परीक्षा/माध्यमिक ओपन स्कूल द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/छठा अवसर से नामांक वर्ष 19..../20.... नियमित (Regular) परीक्षार्थी के रूप में विद्यालय से स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के रूप में जिले से श्रेणी (Division) में अण्डर लाईन की गई परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

2. मेरा उपरोक्त परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र जो कि बोर्ड कार्यालय से प्राप्त हुआ था, खो गया है/जल गया है/फट गया है/शाला से मेरे न लेने के कारण बोर्ड द्वारा नष्ट कर दिया है के कारण खराब हो गया है जो मूल ही संलग्न हैं।

4. मूल प्रमाण पत्र मिलने पर बोर्ड में पुनः जमा करा दूंगा।

6. उक्त कारण से मुझे अपने मूल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि की आवश्यकता है।

7. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र में ऊपर लिखी हुई सभी बातें बिलकुल सत्य हैं, इसमें कोई मिथ्या नहीं है तथा कोई बात छिपायी नहीं है। ईश्वर इसके लिए मेरा साक्षी है। यदि इसमें वर्णित तथ्य कभी भी असत्य हो तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक 1. (हस्ताक्षर हिन्दी में)
2. (हस्ताक्षर अंग्रेजी में)
पता :- (जिस पर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि मंगानी हो)

.....
.....
.....

पिन कोड

श्री पुत्र/पुत्री श्री निवासी
 ने जिसका परिचय श्री ने दिया है, ने मेरे समक्ष आज दिनांक
 को उक्त शपथ ली।

मजिस्ट्रेट/नोटेरी
 गोल सील

.....
 हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक

नोट :- इस शपथ पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध है।

7. टी.सी. की प्राप्ति :-

जिन स्वयंपाठी छात्रों ने अपने परीक्षार्थ आवेदन-पत्र के साथ पूर्व विद्यालय की टी.सी. परीक्षा की पात्रता की जांच हेतु संलग्न की हो उनके द्वारा चाहे जाने पर ₹ 25/- शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रेषित करने पर मूल टी.सी. लौटा दी जाती है तथा फोटो प्रति कार्यालय अभिलेख में रख दी जाती है। इस प्रकार के प्रलेख 2 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाते हैं।

बोर्ड द्वारा प्रदत्त अभिलेख अथवा अंकतालिका में अथवा किसी अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र अथवा अन्य किसी भी प्रलेख में अंकित प्रविष्टि में हेरफेर अथवा रद्दोबदल पाये जाने पर बोर्ड द्वारा इस हेतु बनाये गये नियमानुसार दण्ड दिया जा सकता है।

नोट :- अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया प्रलेख क्रमानुसार ही दिया जायेगा। इसमें लगने वाले यथोचित समय के लिए आवेदक बोर्ड से कोई क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

सामान्यतः आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिलिपि प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक के पते पर ही भिजवाये जाएंगे।

विशेष परिस्थियों में यदि विद्यार्थी चयनकर्ता संस्था के साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दे तथा निदेशक परीक्षा प्रथम, परीक्षा द्वितीय, उप निदेशक परीक्षा, विशेषाधिकारी परीक्षा, मुख्य नियन्त्रक परीक्षा अथवा सचिव में से कोई एक अधिकारी प्रार्थी को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र **By Hand** तत्काल देने के तथ्य से संतुष्ट हो तथा विद्यार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 1.30 P.M. तक जमा करा दिया हो तो कोई फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति लेकर सम्बन्धित पत्रावली पर रखकर प्राप्ति के हस्ताक्षर कराकर प्रमाण पत्र हाथों हाथ जारी किया जा सकेगा।

सहायक निदेशक परीक्षा द्वितीय ऐसे जारी किये गये दस्तावेजों का स्थायी रजिस्टर शाखा स्तर पर संधारित करायेंगे।

नोट :- प्रतिलिपि प्रमाण पत्र **By Hand** देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं होगा।

अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की इस बोर्ड की परीक्षाओं से समकक्षता

अन्यथा प्रावधानों को छोड़कर सामान्य शर्तें जो नीचे लिखी गई हैं, सभी बोर्ड / विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु अनिवार्यतः लागू समझी जावेगी।

अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से सैकण्डरी अथवा मान्य समकक्ष परीक्षार्थ लिये गये न्यूनतम 5 विषयों में प्रत्येक में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष मान्य होगा।

यदि अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण माध्यमिक / सैकण्डरी परीक्षा में किसी विषय में 33 प्रतिशत से कम प्राप्तांक है तो अनुदेशिका के अनुच्छेद 1.7 (ब) (IV) के अनुसार सानुग्रह अंकों के आधार पर समकक्षता निर्धारित की जाएगी।

बोर्ड अधिवेशन दिनांक 05-05-2016 के प्रस्ताव संख्या 24 एवं पात्रता के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2016 के कार्यवृत्त के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 23-06-2016 के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से प्रवर्जित छात्रों को जारी की जाने वाली पात्रता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। (कार्यालय आदेश - आई.टी./2016/ए.सी.पी./467 दिनांक 01-08-2016)

नई योजना के अन्तर्गत ओपन स्कूल पद्धति अथवा पत्राचार पद्धति के तहत संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय) नईदिल्ली, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल, हरियाणा ओपन स्कूल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन हरियाणा, मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के अतिरिक्त अन्य किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित ओपन स्कूल को इस बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालयों / संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं को राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्ष मान्यता निम्नानुसार दी गई है।

| क्र | अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा का नाम | राजस्थान बोर्ड की समकक्ष परीक्षा |
|-----|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |

आन्ध्र प्रदेश

1. बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद-500001

- | | |
|---|------------------|
| 1. सैकण्डरी एग्जामिनेशन (कक्षा 10 के अंत में) | माध्यमिक परीक्षा |
| 2. हायर सैकण्डरी सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन (पुरानी स्कीम) | माध्यमिक परीक्षा |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|-----------------------|
| | 3. हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन (पुरानी स्कीम) | माध्यमिक परीक्षा |
| 2. | बोर्ड ऑफ इन्टरमीडियट एज्युकेशन, आन्ध्र प्रदेश, विद्या भवन, नामापल्ली, हैदराबाद-500001 | |
| | 1. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में) | उच्च माध्यमिक परीक्षा |
| 3. | आन्ध्र विश्वविद्यालय, वालटेयर-530004 | |
| | 1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा एवं मैट्रिकुलेशन परीक्षा (न्यू रेगुलेशन) | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा | हायर सैकण्डरी परीक्षा |
| 4. | उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद-500001 (दक्षिण) | |
| | 1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा (पुराना एवं न्यू रेगुलेशन) | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा | हायर सैकण्डरी परीक्षा |
| 5. | वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति-517501 | |
| | 1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा | हायर सैकण्डरी परीक्षा |

आसाम

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 6. | बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, आसाम, गौहाटी-781001 | |
| | 1. सैकण्डरी स्कूल एग्जामिनेशन (कक्षा 10 के अंत में) | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा (10+2 योजना के अन्तर्गत) | माध्यमिक परीक्षा |
| 7. | आसाम हायर सैकण्डरी एज्युकेशन कॉंसिल, जी.एन.बी. रोड, अम्बारी, गौहाटी-781001 | |
| | 1. हायर सैकण्डरी परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में) | उच्च माध्यमिक परीक्षा |
| 8. | गौहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी-781001 | |
| | 1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |

बिहार

| | | |
|-----|---|------------------|
| 9. | बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना-800017 | |
| | 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10 के अंत में) | माध्यमिक परीक्षा |
| 10. | पटना विश्वविद्यालय, पटना-800001 | |

1

2

3

1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा

माध्यमिक परीक्षा

छत्तीसगढ़

11. **छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन) रायपुर-492001 छत्तीसगढ़**

1. हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (नियमित एवं पत्राचार)

माध्यमिक परीक्षा

2. हायर सैकण्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा (नियमित एवं पत्राचार 10+2)

उच्च माध्यमिक परीक्षा

दिल्ली

12. **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092**

1. दिल्ली/सैकण्डरी स्कूल परीक्षा

माध्यमिक परीक्षा

(कक्षा 10 उत्तीर्ण) (इन्टरनल स्कूल स्तर परीक्षा सहित)

2. ऑल इंडिया सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (इन्टरनल स्कूल स्तर परीक्षा सहित)

माध्यमिक परीक्षा

3. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा

उच्च माध्यमिक परीक्षा

(कक्षा 12 के अंत में)

13. **कौंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, प्रगति हाऊस, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019**

1. इंडियन सर्टीफिकेट ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन (कक्षा 10 के अंत में)

माध्यमिक परीक्षा

2. इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में)

उच्च माध्यमिक परीक्षा

14. **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान- नोएडा (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली)**

1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा

माध्यमिक परीक्षा

2. सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (1989 की परीक्षा से मान्य)

उच्च माध्यमिक परीक्षा

15. **देहली विश्वविद्यालय, देहली-110001**

क्वालीफाइंग परीक्षा

हायर सैकण्डरी परीक्षा

16. **जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110001**

जामिया हायर सैकण्डरी परीक्षा

हायर सैकण्डरी परीक्षा

17. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली-110001**

पूर्व मध्यमा परीक्षा

प्रवेशिका/माध्यमिक परीक्षा

मध्यमा परीक्षा

उपाध्याय/हायर सैकण्डरी परीक्षा

गोवा

1

2

3

18. गोवा बोर्ड ऑफ सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी एग्जामिनेशन अल्तोवेतिम, गोवा-403521

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10 के अंत में) | माध्यमिक परीक्षा |
| 2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में) | उच्च माध्यमिक परीक्षा |

गुजरात

**19. (अ) गुजरात सैकण्डरी एज्युकेशन बोर्ड, सेक्टर 10-बी गांधीनगर-382010
(एग्जामिनेशन विंग, वडोदरा)**

- | | |
|---|------------------|
| 1. एस.एस.सी. एग्जामिनेशन (पूर्व में 11वीं की परीक्षा के बाद तथा वर्ष 1977 से 10वीं की परीक्षा के बाद जारी प्रमाण पत्र) | माध्यमिक परीक्षा |
|---|------------------|

**(ब) गुजरात सैकण्डरी एवं हॉयर सैकण्डरी एज्युकेशन बोर्ड, सेक्टर 10-बी
गांधीनगर-382010**

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. एस.एस.सी. एग्जामिनेशन/सैकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (वर्ष 2004 से एग्जामिनेशन विंग, वडोदरा) | माध्यमिक परीक्षा |
| 2. हायर सैकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा | उच्च माध्यमिक परीक्षा |

20. महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा-391110

प्रिपेरेटरी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा

21. सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ वल्लभ विद्यानगर-3088001 (आनन्द)

प्रिपेरेटरी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा

हरियाणा

22. बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, हरियाणा, झांसी रोड, भिवानी-1265021

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10 के अंत में) | माध्यमिक परीक्षा |
| 2. मैट्रिकुलेशन परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| 3. हायर सैकण्डरी परीक्षा | हायर सैकण्डरी परीक्षा |

1

2

3

4. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा
(कक्षा 12 के अंत में) उच्च माध्यमिक परीक्षा
23. हरियाणा ओपन स्कूल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन, हरियाणा, भिवानी-1265021
(बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, हरियाणा द्वारा संचालित)
1. मैट्रिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा

हिमाचल प्रदेश

24. एच.पी. बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, गयाना लोक परिसर, सिविल लाईन्स,
धर्मशाला, जिला- कांगड़ा-176215 (हिमाचल प्रदेश)
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. मैट्रिकुलेशन परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
3. हॉयर सैकण्डरी द्वितीय भाग परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा

जम्मू एंड कश्मीर

25. जे. एण्ड के. स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, रेहारी कॉलोनी, जम्मू/लाल
मण्डी, श्रीनगर-190001
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा/मैट्रिकुलेशन परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा
26. जम्मू एण्ड कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-190001/जम्मू
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा माध्यमिक परीक्षा

झारखंड

27. (अ) झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद, (झारखण्ड सैकण्डरी एग्जामिनेशन
बोर्ड) रांची-834001 झारखंड
- सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
- (ब) झारखण्ड अधिविद्य परिषद, ज्ञानदीप परिसर, बड़गावां, नामकुम,
रांची-834001
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
(किन्हीं पांच विषयों में 33 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण हो)
2. इंटरमिडियट (10+2) सीनियर सैकण्डरी परीक्षा

कर्नाटक

28. कर्नाटक सैकण्डरी एज्युकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, 6 वीं, क्रास मालेश्वरम्
बैंगलोर-560003
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. एस.एस.एल.सी. एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा
29. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर-570001
प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा
30. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़-580001
प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा

केरल

31. (अ) बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन केरल परीक्षा भवन, पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम -
695212
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. एस.एस.एल.सी. एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा
- (ब) बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एग्जामिनेशन तिरुवनंतपुरम्
1. हायर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा-12) सीनियर सैकण्डरी परीक्षा
32. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम-695212
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा
33. वोकेशनल हायर सैकण्डरी एज्युकेशन बोर्ड, त्रिवेन्द्रम-695212 (केरल सरकार
शिक्षा विभाग)
- वोकेशनल हायर सैकण्डरी परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा
(व्यावसायिक)

मध्यप्रदेश

34. बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, मध्यप्रदेश, भोपाल-462011
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. हाई स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा
3. हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (ओपन स्कूल) माध्यमिक परीक्षा
4. सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा
5. हाई स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन (न्यू पैटर्न) माध्यमिक परीक्षा
6. हायर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट बी एग्जामिनेशन हायर सैकण्डरी परीक्षा

1

2

3

7. हॉयर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट हायर सैकण्डरी परीक्षा
एग्जामिनेशन (न्यू पैटर्न)
8. हॉयर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट (10+2)एग्जामिनेशन उच्च माध्यमिक परीक्षा

35. मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल-462011

1. हाई स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
(वर्ष 1997 की परीक्षा से मान्य)
2. हायर सैकण्डरी परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा
(वर्ष 1997 की परीक्षा से मान्य)

36. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल-462003

1. पूर्व मध्यमा (प्रथम वर्ष) परीक्षा कक्षा-9 / पूर्व प्रवेशिका परीक्षा
2. पूर्व मध्यमा (द्वितीय वर्ष) परीक्षा कक्षा-10 (माध्यमिक) / प्रवेशिका परीक्षा
3. उत्तर मध्यमा (प्रथम वर्ष) परीक्षा कक्षा-11 / उपाध्याय परीक्षा
4. उत्तर मध्यमा (द्वितीय वर्ष) परीक्षा कक्षा-12 (उ.मा.) / वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा

02-09-2013 से समकक्षता**महाराष्ट्र****37. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एंड हायर सैकण्डरी एज्युकेशन, शिवाजीनगर, पूना-411004**

1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. हायर सैकण्डरी सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन उच्च माध्यमिक परीक्षा
(उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा)

उपरोक्त बोर्ड के आठ विभाग निम्नानुसार हैं -

- (अ) पूना डिविजनल बोर्ड, पूर्व में एस.एस.सी. एग्जामिनेशन बोर्ड, पूना
- (ब) औरंगाबाद डिविजनल बोर्ड, औरंगाबाद
- (स) नागपुर डिविजनल बोर्ड, नागपुर
- (द) मुम्बई डिविजनल बोर्ड, मुम्बई
- (य) कोल्हापुर डिविजनल बोर्ड, कोल्हापुर
- (र) अमरावती डिविजनल बोर्ड, अमरावती
- (ल) नासिक डिविजनल बोर्ड, नासिक
- (व) लातूर डिविजनल बोर्ड, लातूर
(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

38. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर-440001

| 1 | 2 | 3 |
|------------|--|-----------------------|
| | 1. हाई स्कूल परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा | हायर सैकण्डरी परीक्षा |
| 39. | पूना विश्वविद्यालय, पूना | |
| | 1. हाई स्कूल परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. प्री डिग्री परीक्षा | हायर सैकण्डरी परीक्षा |
| | (जिसने हायर सैकण्डरी परीक्षा भी अग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली हो) | |
| 40. | बम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई-400001 | |
| | 1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| 41. | शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर-500081 | |
| | प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा | हायर सैकण्डरी परीक्षा |

मणीपुर

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 42. | बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, मणीपुर, इम्फाल-795001 | |
| | 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा / हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा | उच्च माध्यमिक परीक्षा |

मेघालय

| | | |
|------------|--|------------------|
| 43. | मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, तुरा, वेस्ट गोरीहिल्स, मेघालय-794101 | |
| | 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |

मिजोरम

| | | |
|------------|---|------------------|
| 44. | मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, आइजवाल-796001 | |
| | 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | (एच.एस.एल.सी.) | |

नागालैण्ड

| | | |
|------------|--|------------------|
| 45. | नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, कोहिमा-797001 | |
| | 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |

1

2

3

ओडिशा

- 46. कौन्सिल ऑफ हायर सैकण्डरी एज्युकेशन, ओडिशा, भुवनेश्वर-751013**
हायर सैकण्डरी परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा
(कक्षा 12 के अन्त में)
- 47. बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, ओडिशा, कटक-753001**
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा / माध्यमिक परीक्षा
सैकण्डरी स्कूल परीक्षा
3. हायर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा
- 48. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751013**
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा
- 49. सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर**
प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा

पंजाब

- 50. पंजाब स्कूल एज्युकेशन बोर्ड, एस.ए.एस. (रोपड़) मोहाली-160055**
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. मैट्रिकुलेशन परीक्षा (1970 से 1985 तक) माध्यमिक परीक्षा
(सैकण्डरी परीक्षा 1986 तथा मैट्रिकुलेशन परीक्षा 1987 से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत)
3. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा
- 51. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़-**
1. हायर सैकण्डरी कोर परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. मैट्रिकुलेशन परीक्षा (पुरानी पद्धति वाली माध्यमिक परीक्षा
यदि 5 विषयों सहित परीक्षा उत्तीर्ण की हो)
3. हायर सैकण्डरी पार्ट-1 परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
4. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा
5. हायर सैकण्डरी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा
6. हायर सैकण्डरी पार्ट-2 परीक्षा (पुरानी स्कीम) हायर सैकण्डरी परीक्षा
(1970 से कम संख्या 4 के अलावा अन्य परीक्षाओं का संचालन विश्वविद्यालय ने बंद कर दिया है)

राजस्थान

1

2

3

- 52. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर-302001**
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
(न्यूनतम पांच विषयों सहित प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण)
2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा
(33 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण)
- 53. बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली-304022**
1. सैकण्डरी परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
(दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण)
2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा
- 54. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा-324021**
- बी.ए.पी., बी.सी.पी. एवं बी.एस.सी.पी. उच्च माध्यमिक परीक्षा
(एक वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण)
(दिनांक 1-1-2014 के पश्चात् आयोजित परीक्षा से)

तमिलनाडु

- 55. (अ) तमिलनाडु बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ गवर्नमेन्ट पब्लिक एग्जामिनेशन, कॉलेज रोड, चैन्नई-600006 (तमिलनाडु)**
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा(10+2) माध्यमिक परीक्षा
एस.एस.एल.सी. परीक्षा
- (ब) स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन (सैकण्डरी), तमिलनाडु, चैन्नई डिपार्टमेन्ट ऑफ गवर्नमेन्ट एग्जामिनेशनस)**
- सैकण्डरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (10 स्टैण्डर्ड) परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
- (स) बोर्ड ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मद्रास, तमिलनाडु (डिपार्टमेन्ट ऑफ गवर्नमेन्ट एग्जामिनेशन मद्रास द्वारा संचालित)**
- मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा
- 56. (अ) बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एग्जामिनेशनस, चैन्नई-600006 (तमिलनाडु) (स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशनस)**
1. सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा
(कक्षा 12)
- (ब) बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एग्जामिनेशनस, मद्रास (तमिलनाडु)**
(डिपार्टमेन्ट ऑफ गवर्नमेन्ट एग्जामिनेशन मद्रास द्वारा संचालित)
- हायर सैकण्डरी कोर्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीनियर सैकण्डरी परीक्षा
(उच्च माध्यमिक)
- 57. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास**

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------|--|-----------------------|
| | 1. मैट्रिकुलेशन/एस.एस.एल.सी. परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| 58. | अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर | |
| | 1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा | हायर सैकण्डरी परीक्षा |
| 59. | मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई | |
| | प्री फाउन्डेशन परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| तेलंगाना | | |
| 60. | बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, तेलंगाना स्टेट | |
| | 1. एस.एस.सी. पब्लिक एग्जामिनेशन | माध्यमिक परीक्षा |

त्रिपुरा

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 61. | त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, पोस्ट अभयनगर, अगरतला-799005 | |
| | 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | (सैकण्डरी स्कूल परीक्षा अंग्रेजी सहित अगर छात्र प्रत्येक विषय ग्रुप में 34 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण है) | |
| | 2. सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा | उच्च माध्यमिक परीक्षा |

उत्तरप्रदेश

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| 62. | माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमिडियट एज्युकेशन, उत्तर प्रदेश) | |
| | 1. हाई स्कूल परीक्षा/सैकण्डरी स्कूल परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. इन्टरमिडियट परीक्षा | उच्च माध्यमिक परीक्षा |
| 63. | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202001 | |
| | 1. सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | (पार्ट-2) (कक्षा-10) | |
| | 2. हाई स्कूल वूमैन प्राइवेट एग्जामिनेशन्स | माध्यमिक परीक्षा |
| | 3. सीनियर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा | उच्च माध्यमिक परीक्षा |
| | (पार्ट-2) (कक्षा-12) | |
| 64. | सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221002 (वर्ष 2001 तक) | |
| | 1. प्रथमा | अष्टम समकक्ष |
| | 2. पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) | प्रवेशिका |
| | (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) | |
| | 3. मध्यमा (अंग्रेजी सहित) | उपाध्याय |
| | 4. उत्तर मध्यमा (अंग्रेजी सहित) | वरिष्ठ उपाध्याय |
| | (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) | |
| | (समकक्षता केवल संस्कृत परीक्षाओं के लिए) वर्ष 2001 तक | |
| 65. | उत्तरप्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् शाहमीना रोड, लखनऊ-226001 (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के पाठ्यक्रमानुसार) | |
| | 1. पूर्व मध्यमा | प्रवेशिका |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|--|-----------------------|
| | 2. मध्यमा (अंग्रेजी सहित) | उपाध्याय |
| | 3. उत्तर मध्यमा (अंग्रेजी सहित) | वरिष्ठ उपाध्याय |
| 66. | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान- नोएडा | |
| | 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा | माध्यमिक परीक्षा |
| | 2. सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (1989 की परीक्षा से मान्य) | उच्च माध्यमिक परीक्षा |

उत्तरांचल

- 67. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल-263001 (उत्तराखण्ड)**
(Board of School Education, Uttarakhand)
1. हाई स्कूल परीक्षा / सैकण्डरी स्कूल परीक्षा / मैट्रिक परीक्षा / मैट्रिक कक्षा
 2. इन्टरमिडियट परीक्षा
 3. पूर्व मध्यमा परीक्षा
 4. उत्तर मध्यमा परीक्षा
- माध्यमिक परीक्षा
उच्च माध्यमिक परीक्षा
माध्यमिक / प्रवेशिका परीक्षा
उच्च माध्यमिक / वरि. उपाध्याय परीक्षा
- 68. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-247663 (उत्तरांचल)**
1. विद्याधिकारी परीक्षा
(दो वर्षीय पाठ्यक्रम)
 2. विद्या विनोद परीक्षा
- माध्यमिक परीक्षा
हायर सैकण्डरी परीक्षा
- 69. गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर हरिद्वार-247663 (उत्तरांचल)**
1. विद्यारत्न परीक्षा
(उक्त परीक्षा अंग्रेजी अनिवार्य विषयों सहित
प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो)
- माध्यमिक परीक्षा / प्रवेशिका परीक्षा
- 70. राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून-248001**
- आर.आई.एम.सी. हायर सैकण्डरी
डिप्लोमा परीक्षा
- हायर सैकण्डरी परीक्षा

पश्चिम बंगाल

- 71. पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, कोलकाता-700016**
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा
 2. स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन
(प्रत्येक चार ग्रुप में 34 प्रतिशत प्राप्तांकों
से उत्तीर्ण / अतिरिक्त विषय को नहीं)
- माध्यमिक परीक्षा
माध्यमिक परीक्षा

3. माध्यमिक परीक्षा (सैकण्डरी एग्जामिनेशन) माध्यमिक परीक्षा
4. हायर सैकण्डरी एग्जामिनेशन (11 वीं कक्षा के बाद) हायर सैकण्डरी परीक्षा
72. वेस्ट बंगाल कौंसिल ऑफ हायर सैकण्डरी एज्युकेशन, विकास भवन, नार्थ एण्ड ईस्ट ब्लॉक (दूसरा माला) साल्ट लेक, कोलकाता-700091
सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा
73. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700091
1. हाई स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा
74. जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700091 (कोलकाता)
1. प्रिपेरेटरी (आर्ट्स एण्ड साइन्स) परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा
(त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिये संचालित)
75. विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन (पश्चिम बंगाल) कोलकाता-700091
1. स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन/हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट माध्यमिक परीक्षा
2. हायर स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन हायर सैकण्डरी परीक्षा

अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थाएं

76. इण्डियन नेवी
हायर एज्युकेशन टेस्ट माध्यमिक परीक्षा
77. दी इण्डियन फोर्स
मेट्रिकुलेशन टेस्ट माध्यमिक परीक्षा
78. दी इण्डियन आर्मी
1. स्पेशल सर्टीफिकेट ऑफ एज्युकेशन (नवम्बर 1980 के बाद से उक्त परीक्षा बन्द कर दी गई) माध्यमिक परीक्षा
2. सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय, नई दिल्ली (1980 के केन्द्रीय बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित) माध्यमिक परीक्षा
3. आर्मी हायर सैकण्डरी सर्टीफिकेट एज्युकेशन परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा
79. बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, हैदराबाद (पश्चिम पाकिस्तान)
सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा
80. बोर्ड ऑफ इण्टरमीडियट एण्ड सैकण्डरी एज्युकेशन, ढाका
हाई स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा

81. **नेपाल सरकार**
एस.एल.सी. परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
82. **बर्मा**
इंग्लिश हाई स्कूल एण्ड ऐगलो वर्नाक्यूलर
हाई स्कूल एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा
83. **सीलोन (श्रीलंका)**
जी.सी.ई. (आर्डिनरी लेवल) माध्यमिक परीक्षा
84. **फ्रेन्च परीक्षाएं**
1. Brevet Elementiar (Francais) माध्यमिक परीक्षा
2. Brebeted Etns de premier
Cycle (BEPC) माध्यमिक परीक्षा
3. Brevetd Ensignment Premic
superior de Language Indienne (Tamil) माध्यमिक परीक्षा
4. Brevetd Language Indienne
(Telgu & Malayalam) माध्यमिक परीक्षा
85. **दी यूरोपियन स्कूल इन सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड अदर प्रोविन्स**
हाई स्कूल परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
86. **दी लन्दन यूनिवर्सिटी, लन्दन**
1. मेट्रिकुलेशन परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
2. दी जनरल सर्टीफिकेट ऑफ एज्यूकेशन
(आर्डिनरी) माध्यमिक परीक्षा
87. **दी ब्रिटिश सिविल सर्विसेज कमीशन फोर्सेंज**
प्रीलिमिनरी परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
88. **यूनिवर्सिटी ऑफ केम्ब्रिज इन्टरनेशनल एग्जामिनेशन**
आई.जी.सी.एस.ई. माध्यमिक परीक्षा
(इन्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन)
(सत्र 2009-10 से)

नोट : वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को अमान्य समझा जाये तथा सन् 1974 के पूर्व वाराणसेस संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही वैध रहेंगे। सन् 1974 के पश्चात इसी विश्वविद्यालय का नाम "सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय" होने से वैधता इसी नाम से बनी रहेगी।

टिप्पणी : सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ हायर एज्यूकेशन तथा ईस्ट पटेलनगर, नई दिल्ली स्थित सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ हाई एज्यूकेशन, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं नहीं हैं।

प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन-पत्र का नमूना

(प्रतिलिपि प्रमाण पत्र का शुल्क ₹ 200/-)

परीक्षार्थी का नाम

पिता का नाम श्री

माता का नाम श्रीमती

उत्तीर्ण परीक्षा के नाम के ऊपर (✓) का निशान अंकित करें-सैकण्डरी / हायर सैकण्डरी / प्रवेशिका / उपाध्याय / हाई स्कूल / सीनियर हायर सैकण्डरी / वरिष्ठ उपाध्याय

उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण :-

परीक्षा वर्ष

नामांक (Roll No.) मुख्य

पूरक

| परीक्षा का नाम | नामांक | वर्ष | केवल पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए |
|------------------------|--------|------|---|
| मुख्य परीक्षा | | | |
| मुख्य परीक्षा (Supply) | | | |
| मुख्य परीक्षा | | | |

श्रेणी (Division)

शाला का नाम (नियमित परीक्षार्थी हेतु).....

केन्द्र का नाम (नियमित / स्वयंपाठी हेतु)

बोर्ड कार्यालय में भेजने का विवरण

प्रमाण पत्र प्रतिलिपि मांगने का कारण खो गया है / नष्ट हो गया है या अन्य कोई कारण

(सही (✓) का निशान लगायें)

पृष्ठ भाग के अनुसार निर्धारित शपथ पत्र संलग्न है। अतः प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करने का कष्ट करें।

दिनांक

हस्ताक्षर परीक्षार्थी

पूर्व पता

.....

..... पिन कोड

Mob. No./ Cell Phone

लैण्ड लाईन नं.

नोट - प्रमाण पत्र प्रतिलिपि छात्र/छात्रा को बोर्ड कार्यालय में नहीं दी जाती है। केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाती है। अतः प्रार्थी पूर्ण पता पिन कोड सहित स्पष्ट अंकित करें।

प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु शपथ-पत्र का नमूना

(दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंकित करना है)

1. मैं पुत्र/पुत्री श्री जाति निवासी (पता)..... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से हाई स्कूल/सैकण्डरी स्कूल/हायर सैकण्डरी/प्रवेशिका /सीनियर हायर सैकण्डरी/वरिष्ठ उपध्याय/उपाध्याय परीक्षा वर्ष में नामांक (Roll No.) मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा नामांक वर्ष, द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा नामांक तृतीय अवसर पूरक परीक्षा नामांक वर्ष से नियमित (Regular) स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के रूप में जिले से श्रेणी (Division) में उत्तीर्ण की थी।

2. मेरा उपरोक्त परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र जो कि बोर्ड कार्यालय से प्राप्त हुआ था, खो गया है/जल गया है/फट गया है/ शाला से मेरे न लेने के कारण बोर्ड द्वारा नष्ट कर दिया गया है के कारण खराब हो गया है जो मूल ही संलग्न है।

3. उक्त कारण से मुझे अपने मूल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि की आवश्यकता है।

4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र में ऊपर लिखी हुई सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं इसमें कोई मिथ्या नहीं है तथा कोई बात छिपाई नहीं है। ईश्वर इसके लिए मेरा साक्षी है। यदि इसमें वर्णित तथ्य कभी भी असत्य हो तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक 1. (हस्ताक्षर हिन्दी में)
2. (हस्ताक्षर अंग्रेजी में)

| |
|---|
| आवक्ष चित्र के लिए स्थान |
| आवक्ष चित्र पर भी न्यायाधीश/नोटेरी पब्लिक के हस्ताक्षर पद की रबर सील लगी हो |

पता : (जिस पर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि मंगानी हो)

.....

.....

.....

..... पिन कोड

Mob No..... Cell Phone No.

श्री पुत्र/पुत्री श्री निवासी ने जिसका परिचय श्री ने दिया है, ने मेरे समक्ष आज दिनांक को उक्त शपथ ली।

कोर्ट/नोटेरी पब्लिक
गोल सील

हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/
नोटेरी पब्लिक तथा
पद की रबर सील

आवश्यक सूचना

राजस्थान के बाहर से आये सैकण्डरी स्कूल एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को शाला की कक्षा-11 एवं कक्षा-12 में प्रवेश देने से पूर्व कृपया ध्यान रखें कि इस कार्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किसी भी स्थिति में शाला में प्रवेश न दें। प्रायः देखा गया है कि शाला प्रधान छात्रों के परीक्षार्थ आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय ही पात्रता प्राण पत्र हेतु आवेदन करते हैं। उस समय बोर्ड द्वारा उनके प्रलेखों की जांच करने पर पाया जाता है कि कतिपय छात्र कक्षा-12 में प्रवेश योग्य नहीं होते हैं। ऐसा करने से छात्र/छात्रा के दो साल (कक्षा - 11 व 12) बर्बाद हो जाते हैं। इसी प्रकार छात्रों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा जांच करते समय उपरोक्त कमी पायी जाती है। फलस्वरूप छात्र/छात्रा अपने प्रवेशार्थ मामलों को लेकर न्यायालय में याचिका दायर करते हैं इसके कारण बोर्ड की छवि धूमिल होती है।

कृपया ऐसी स्थिति किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं करें। अगर शाला प्रधान द्वारा उपरोक्त त्रुटि की जाती है तो पूर्ण जिम्मेदारी शाला प्रधान की ही होगी। ऐसे सभी मामलों में निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को बोर्ड द्वारा विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावेगी।

पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मूल अंकतालिका, प्रवजन प्रमाण-पत्र, मय छाया प्रति के व शुल्क के ₹ 100/- प्राप्त कर आप द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र की जुलाई के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में पंजीकृत डाक से कार्यालय को अवश्य भिजवा दें ताकि समय से आपको पात्रता प्रमाण-पत्र भिजवाया जा सके। विलम्ब से प्रेषित प्रार्थना पत्र पर विचार करना सम्भव नहीं होगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा। स्वअध्ययन के मामले में निर्देशानुसार कार्यवाही कर जुलाई/अगस्त माह में अनुमति प्राप्त कर लें।

आवश्यक सूचना

1. बोर्ड कार्यालय द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व नियमित छात्रों की नामावली (नोमीनल रोल) शालाओं को पुष्टि हेतु भेजी जाती है, जिससे कि शाला प्रधान नोमीनल रोल का अपने शाला अभिलेखों से मिलान करें। यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो इस कार्यालय को शीघ्र ही सूचित करना चाहिए, जिससे संशोधन यथासमय हो सके। संशोधन नहीं होने से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् जब छात्र को अंकतालिका प्रमाण-पत्र आदि जारी की जाती है तो उस समय अनावश्यक कार्यवाही संशोधन हेतु करनी पड़ती है।
2. जो शालाएं नव क्रमोन्नत हुई हैं, उन्हें बोर्ड कार्यालय में मान्यता शुल्क जमा कराकर पात्रता हेतु आवेदन यथासमय कर लेना चाहिए। बिना मान्यता प्रक्रिया प्रारम्भ हुए नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

—: सम्पर्क सूत्र :-

दूरभाष (कार्यालय)

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| सचिव | 0145-2420597 |
| मुख्य नियंत्रक (परीक्षा) | 0145-2420071 |
| पी.बी.एक्स. | 0145-2632866 से 2632873 |
| परीक्षा-द्वितीय (प्रलेख विभाग) | 257, 259 तथा 201 (Ext.) |
| फैक्स | 0145-2627394 |